समाहरणालय, बेगूसराय
(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)
<u>अल्पकालीन निविदा सूचना</u>

विषेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 657/आ0प्र0, दिनांक– 12.02.2015 से प्राप्त निदेष के आलोक में आपदा के दौरान राहत षिविरों में 500–500 व्यक्तियों के ठहरने के लिए टेन्ट का क्रय किया जाना है। अतः इच्छुक आपूर्तिकर्त्ताओं से टेन्ट क्रय करने हेतु सीलबन्द लिफाफा मे ंतकनीकि एवं वित्तीय निविदा आमंत्रित की जाती है, जो अलग–अलग लिफाफे में होगी।

निविदादाताओं को जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पदनाम से मो0– 5,000.00 (पॉच हजार रू0) की जमानत राषि बैंक ड्राफ्ट के रूप में या नकद राषि जिला नजारत शाखा, बेगूसराय में जमा करनी होगी। अल्पकालीन निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक– 09.06.2015 को अपराह्न 1.00 बजे तक होगी। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें स्वयं निविदादाता या उसके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। टेन्ट के संबंध में विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्रं0	सामग्री का नाम	प्रकार (साईज)	मात्रा	दर
1	टेन्ट फेमिली रिज टेन्ट सिंगल फ्लाई विथ ऑल एसोसिरिज	4MX4MX2.15M	100 पीस आवश्यकतानुसार संख्या घट बढ़ सकती है।	सभी कर सहित
2	टेन्ट फेमिली रिज टेन्ट डबल फ्लाई विथ ऑल एसोसिरिज	4MX4MX2.15M	50 पीस आवश्यकतानुसार संख्या घट बढ़ सकती है।	सभी कर सहित

तकनीकि निविदा की आवष्यक शर्ते

1. निविदा के साथ आयकर (रिटर्न प्रमाण–पत्र), वाणिज्य–कर निबंधन प्रमाण पत्र, पैन नं0, बैंक ड्राफ्ट या नगद राषि जमा से संबंधित NR संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि आपूर्तिकर्त्ता को कार्य अनुभव हो तो उसका प्रमाण

वित्तीय निविदा

1. सीलबन्द लिफाफे में सभी प्रकार के टेन्ट का दर, सभी कर सहित स्पष्ट करना आवष्यक होगा।

निविदा की अन्य शर्ते

1. निविदादाता को आपूर्त्ति किए जाने वाले सभी प्रकार के टेन्टों की गुणवत्ता के अनुरूप नमूना साथ में लाना अनिवार्य होगा तथा तकनीकि कर्मचारी भी लाना होगा, जो टेन्ट का डेमो दिखायेगा।
2. सामग्रियों की आपूर्ति हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।

3. राषि का भुगतान सभी अनुमान्य करों के कटौती के पश्चात रेखाकिंत चेक के माध्यम से किया जायेगा।
4. विभाग से आवंटन प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जाएगा। अपरिहार्य कारण से भुगतान में बिलम्ब होने पर किसी भी प्रकार की सूद की राषि देय नहीं होगा।
5. स्वीकृत निविदाकर्त्ता के द्वारा ससमय सामग्री नहीं आपूर्ति किए जाने की स्थिति में आवष्यकता के मद्देनजर अन्य निविदाकत्ताओं से स्थानीय बाजार के अनुसार अनुमोदित दर पर क्रय की जा सकती है या द्वितीय नं0 के विडर से क्रय किया जा सकता है।
6. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाता की जमानत राषि शीघ्र ही वापस कर दी जायेगी।
7. आपूर्ति किये जाने वाले सभी टेन्टों के उपर **''जिला आपदा प्रबंधन शाखा, बेगूसराय''** काले रंग से अंकित करना अनिवार्य होगा।
8. निविदादाता को इस आषय का एकरारनामा करना होगा कि वे आपूर्ति आदेष के 15 दिनों के अंदर नमूना के अनुरूप उचित संख्या, साईज एवं मात्रा के अनुसार सामग्रियों की आपूर्ति करेगें तथा जिला कार्यालय तक पहुॅचायेगें। इसके लिए कोई परिवहन शुल्क या अन्य चार्जेज देय नहीं होगा।
9. बिना कारण बताए निविदा रद्द करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा। विषेष जानकारी के लिए प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, बेगूसराय के मोबाईल संख्या 9934227370 तथा जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के बेवसाईट http;//begusarai.bih.nic.in. पर देखा जा सकता है।
10. जिस आपूर्तिकर्त्ता को उपरोक्त सभी शर्ते स्वीकार हो वैसे आपूर्तिकर्त्ता, निविदा में भाग ले सकते हैं।

जिला पदाधिकारी,
बेगूसराय।

D/P/Awantan//PANK